मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15/06/2018

क्रमांक एफ-5-19/2017/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया कि:-

1. उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत टेक्सटाइल उद्योगों हेतु विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु एमएसएसई प्रोत्साहन योजना 2014 जारी की गई है। अतः उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथासंशोधित 2012) के 'टेक्सटाइल उद्योगों हेतु विशेष पैकेज' अंतर्गत पात्र एमएसएमई टेक्सटाइल उद्योगों को टेक्सटाईल अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) में अनुमोदित यंत्र-संयंत्र में निवेश पर निवेश अनुदान और टेक्सटाईल अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) से लिंक लॉग टर्म लोन पर ब्याज अनुदान एमएसएसई प्रोत्साहन योजना 2014 में दी गई प्रक्रिया अनुसार प्रदाय की जावे।
2. दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 30.06.2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम टेक्सटाईल उद्योग द्वारा यदि 2010 की उद्योग संवर्धन नीति का चयन कर वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा/सहायता प्राप्त की गई हो तो उसकी वसूली नहीं की जावे।
3. जिन टेक्सटाईल इकाईयों द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अवधि में 2010 की उद्योग संवर्धन नीति का चयन कर वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा प्राप्त की गई है, उनकी सुविधा/सहायता की पुनर्गणना 2014 की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत की जावे एवं आधिक्य की स्थिति में पात्रता शेष रहने पर समायोजन और पात्रता शेष न रहने पर वसूली की जावे।

4. उक्त टेक्सटाईल इकाईयों को जो सहायता/सुविधाएं 2010 की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई हैं, वह सुविधा पात्रता अनुसार 2014 की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत देय की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.एल.कान्ताराव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक: एफ-5-19/2016/अ-तेहत्तर भोपाल,दिनांक 15/6/18

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,(समन्वय) मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय,भोपाल।
4 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
5 उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. नियंत्रक शासन मुद्रण एवं लेखा सामग्री म.प्र.भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग